अध्याय 2

लाभार्थियों की पहचान एवं चयन

अध्याय 2

लाभार्थियों की पहचान और चयन

पीएमएवाई-जी के एफएफआई के अनुसार, लाभार्थियों की पहचान और चयन में निष्पक्षता और पारदर्शिता 'सभी के लिए आवास' के लक्ष्य को साकार करने की आधारशिला है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सहायता वैसे लोगों के लिए लक्षित है जो वास्तव में वंचित हैं, और यह कि चयन विषयपरक और सत्यापन योग्य है, एसईसीसी 2011 आंकड़ों में आवास के अभाव मापदंडों का उपयोग परिवारों की पहचान के लिए किया गया था। इसके बाद चिन्हित आवासों का सत्यापन ग्राम सभाओं द्वारा किया गया।

पीएमएवाई-जी के एफएफआई के अनुसार, योग्य लाभार्थियों की श्रेणी में एसईसीसी आंकड़ों के अनुसार सभी बेघर और कच्ची दीवार और कच्ची छत वाले शून्य, एक या दो कमरे के घरों में रहने वाले परिवार शामिल हैं, जो अपवर्जन प्रक्रिया के अधीन हैं। पात्र लाभार्थियों के दायरे के भीतर बहु-स्तरीय प्राथमिकता होगी और निर्धारित मानकों[1] के आधार पर पहले प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी। प्रणाली जनित, श्रेणीवार वरीयता सूची, एमआईएस-आवाससॉफ्ट से डाउनलोड की जाएगी और ग्राम सभा द्वारा सत्यापन के लिए संबंधित ग्राम सभा के बीच परिचालित की जाएगी।

ग्राम सभा द्वारा उन तथ्यों का सत्यापन किया जाएगा जिसके आधार पर परिवारों को पात्र/योग्य परिवार के रूप में पहचाना गया है। यदि गलत तथ्यों के आधार पर परिवारों का समावेशन किया गया है, तो ग्राम सभा ऐसे परिवारों को प्रणाली जनित प्राथमिकता सूची से हटा देगी। हटाए गए परिवारों की सूची, जिसमें हटाने के कारण भी शामिल होंगे, ग्राम सभा के कार्यवृत्त का हिस्सा होगी। गलत विलोपन/रैंकिंग में परिवर्तन के संबंध में शिकायतों की जांच जिला अपीलीय समिति द्वारा की जानी थी। इसके बाद, प्रत्येक श्रेणी के लिए ग्राम पंचायत-वार अंतिम पीडब्ल्यूएल, प्रत्येक एचएच के लिए एक अलग रैंक के साथ, प्रकाशित किया जाना था और इसे ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट के साथ-साथ आवाससॉफ्ट और पीएमएवाई-जी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाना था।

2.1 ग्राम पंचायतों के पास अभिलेखों की अनुपलब्धता

छः नमूना-जांचित जिलों से चयनित 60 ग्राम पंचायतों में से कोई भी ग्राम पंचायत वर्ष 2016-2024 के दौरान अंतिम पीडब्ल्यूएल तैयार करने से संबंधित अभिलेख जैसे

---

[1] **स्वचालित समावेशन के लिए मानदंड**: (i) आश्रय के बिना एचएच (ii) बेसहारा/भिक्षा पर जीवन यापन (iii) मैनुअल मेहतर (iv) आदिम जनजातीय समूह (v) कानूनी रूप से रिहा बंधुआ मजदूर और **स्वचालित बहिष्करण के लिए मानदंड**: चार्ट 1.2 में विस्तृत।

कि पात्र लाभार्थियों के सत्यापन के लिए ग्राम सभा की कार्यवाही, समावेशन/विलोपन के लिए लाभार्थियों से प्राप्त शिकायतें/अभ्यावेदन, सूचियों[2] का व्यापक प्रचार, प्रखंडों/जिलों को भेजे गए प्रस्ताव आदि (जैसा कि **कंडिका 5.3** में वर्णित है) प्रस्तुत नहीं कर सके। लेखापरीक्षा ने प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल को अंतिम रूप देने के दौरान लाभार्थियों के चयन/अनुमोदन के लिए ग्राम सभा द्वारा की गई प्रक्रिया का पता लगाने के लिए अपात्र लाभार्थियों के रिमांड प्रस्तावों[3] का विश्लेषण किया, जैसा कि **कंडिका 2.2.2** में चर्चा की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा भेजे गए रिमांड प्रस्तावों के आधार पर और नमूना-जांचित प्रखंडों द्वारा उपलब्ध कराए गए लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया के लेखापरीक्षा विश्लेषण से इस बात का कोई आश्वासन नहीं मिला कि ग्राम सभा स्तर पर निष्पादित लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी थी तथा पीएमएवाई-जी के एफएफआई के तहत आवश्यकता के अनुरूप थी, जैसा कि आगे के अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

समापन सम्मेलन के दौरान (जून 2025), सचिव, आरडीडी द्वारा कहा गया कि लेखापरीक्षा सत्यापन के लिए भौतिक अभिलेख संधारित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

2.1.1 जिला अपीलीय समिति

पीएमएवाई-जी के एफएफआई के अनुसार, राज्य सरकार को जिला स्तर पर तीन सदस्यीय अपीलीय समिति का गठन करना होगा, जिसके अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर या उनके नामित व्यक्ति होंगे तथा इसमें एक अन्य अधिकारी और कम से कम एक गैर-सरकारी सदस्य होंगे। अपीलीय समिति रैंकिंग में विलोपन या परिवर्तन के खिलाफ लाभार्थियों की शिकायतों पर विचार करेगी और एक निश्चित अवधि (15 दिनों) के भीतर उनका समाधान करेगी। अपीलीय समिति द्वारा ग्राम पंचायत से संबंधित सभी मामलों के निपटान के बाद, प्रत्येक श्रेणी के लिए ग्राम पंचायत-वार अंतिम पीडब्ल्यूएल, प्रत्येक परिवार के लिए एक अलग रैंक के साथ, प्रकाशित किया जाना था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि छः नमूना-जांचित जिलों में जिला अपीलीय समितियां (डीएसी) बनाई गई थीं। हालांकि, प्राथमिकता सूची को अंतिम रूप देने और निपटान के दौरान लाभार्थियों से प्राप्त शिकायतों के विवरण से संबंधित कोई अभिलेख संबंधित डीआरडीए के पास नहीं पाया गया। इसलिए, लेखापरीक्षा अंतिम प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल के अनुमोदन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और पीएमएवाई-जी के

---

[2] (i) प्राथमिकता वाले पात्र एचएच की सूची (ii) हटाए गए एचएच की सूची और (iii) सिस्टम जनरेटेड प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं किए गए एचएच की सूची, लेकिन अन्यथा पात्र।

[3] ग्रा.पं. उन तथ्यों की जाँच करेगा जिनके आधार पर किसी परिवार को पात्र के रूप में चिन्हित किया गया है। यदि गलत तथ्यों के आधार पर समावेशन किया गया हो, या यदि किसी परिवार ने पक्का आवास बना लिया हो, या किसी सरकारी योजना के अंतर्गत आवास आवंटित हो चुका हो, या सर्वेक्षण के समय के बाद स्थायी रूप से प्रवास कर गया हो, या बिना किसी उत्तराधिकारी के मृत्यु हो गई हो, तो ऐसे परिवार का नाम प्रणाली द्वारा तैयार की गई प्राथमिकता सूची से ग्रा.पं. द्वारा हटा दिया जाएगा।

एफएफआई के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर रैंकिंग में विलोपन या परिवर्तनों के खिलाफ लाभार्थियों की शिकायतों के समाधान के संबंध में डीएसी की भूमिका का पता नहीं लगा सकी।

आरडीडी द्वारा अपने जवाब में (जून 2025) कहा गया कि जिलों में गठित अपीलीय समितियों का काम शिकायतों का समाधान करना और प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल को अंतिम रूप देना था। यह भी कहा गया कि वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी जिलों से प्राप्त की जाएगी और उन्हें उचित निर्देश दिए जाएंगे।

आरडीडी का जवाब संतोषजनक नहीं है क्योंकि व्यापक प्रचार के लिए की गई कार्रवाइयों, कहाँ और कब शिकायतें उठाई जानी थीं, और आरडीडी के आदेशों (मई 2016) के अनुसार शिकायतों के निपटान के बाद जिला-वार अलग लाभार्थी सूची तैयार करने से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए। इस प्रकार, डीएसी के कार्य में पारदर्शिता की कमी थी।

2.2 प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल

2.2.1 प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल में कमियाँ

आरडीडी ने राज्य में पात्र लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के लिए प्राथमिकता सूची और विभिन्न गतिविधियों[4] की स्वीकृति के लिए अंतिम तिथियों के साथ एक समय-सीमा निर्धारित की है (मई 2016)। समय-सीमा के अनुसार, सभी शिकायतों/अभ्यावेदनों को हल करने के बाद प्राथमिकता सूची की तैयारी 20 जून 2016 तक पूरी की जानी थी। हालाँकि, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि समय-सीमा का पालन किया गया था अथवा नहीं। प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल को अंतिम रूप देने के लिए ग्राम पंचायत, प्रखण्ड और जिलों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया (यदि कोई हो) को भी सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल को अंतिम रूप देने से संबंधित अभिलेख (प्रणाली जनित प्राथमिकता सूची की प्रति; सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों के अभिलेख; ग्राम सभा कार्यवाही/कार्यवृत्त; शिकायत निपटान फाइलें आदि) नमूना परीक्षित ग्राम पंचायत, प्रखंडों और जिलों में अनुरक्षित/उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

हालांकि, राज्य और जिलों के पीएमयू द्वारा प्रदान की गई पत्राचार फाइलों और आवाससॉफ्ट पर उपलब्ध आँकड़ों की जांच से एसईसीसी-प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल को अंतिम रूप देने में निम्नलिखित कमियां सामने आईं।

---

[4] प्रस्तावित प्राथमिकता सूची की ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन: 15 मई 2016 तक; वार्षिक सूची की तैयारी: 25 मई 2016; प्राथमिकता सूची की तैयारी और आवाससॉफ्ट पर प्रविष्टि: 30 मई 2016; डीआरडीए / अन्य निर्दिष्ट कार्यालयों में आपत्तियों को दाखिल करने के लिए अधिसूचना: 5 जून 2016; और आपत्तियों का निपटान और अंतिम पीडब्ल्यूएल की तैयारी: 20 जून 2016।

- आरडीडी ने जिलों द्वारा भेजी गई प्राथमिकता सूचियों में विभिन्न अनियमितताएं पाईं (अगस्त 2016), जैसे कि कुछ गांवों/ग्राम पंचायत को शामिल नहीं किया जाना, एक ही ग्राम पंचायत की कई प्रविष्टियाँ, लाभार्थियों के नामों में गड़बड़ी, जाति/श्रेणी के वर्गीकरण में त्रुटियां, रिमांड के माध्यम से नामों का समावेश नहीं किया जाना/अपवर्जन करना आदि।

- आरडीडी ने नवंबर 2017[5] तक प्राथमिकता सूची को अंतिम रूप नहीं दिए जाने पर अपनी चिंता व्यक्त की (नवंबर 2017) जबकि वर्ष 2016-17 के लिए आवासों को पहले ही स्वीकृति दे दी गई थी, और 2017-18 के लक्ष्यों के संबंध में आवासों को स्वीकृति देने की प्रक्रिया चल रही थी। इसलिए जिलों को पीएमएवाई-जी के एफएफआई में दिए गए समावेशन/अपवर्जन मापदंडों के संदर्भ में ग्राम सभाओं के माध्यम से अपात्र लाभार्थियों को हटा कर/रिमांड करके अपनी प्राथमिकता सूची को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया गया (नवंबर 2017)।

- झारखण्ड सरकार ने एमओआरडी को एसईसीसी आंकड़ों में त्रुटियों[6] के बारे में सूचित किया था (मई 2017), जिससे प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल में पात्र लाभार्थियों को शामिल करने में बाधाएं आईं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एसईसीसी आंकड़ों में लाभार्थियों की श्रेणी में त्रुटियों को सुधारने का कोई प्रावधान नहीं था, एमओआरडी ने राज्यों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी में प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल में शामिल सामान्य/अल्पसंख्यक श्रेणी के लाभार्थियों को या इसके विपरीत क्रम में आवासों को स्वीकृति देने की अनुमति दी (दिसंबर 2017)।

- प्राथमिकता सूचियों में पाई गई विसंगतियों को सत्यापित करने के बाद आरडीडी ने जिलों के सभी डीडीसी को जनवरी 2018 तक लाभार्थियों की अंतिम सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया (जनवरी 2018)। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि आरडीडी ने प्राथमिकता सूचियों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभाओं द्वारा प्राथमिकता सूचियों को अंतिम रूप देने और पात्र/अपात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता सूची में शामिल करने/बाहर करने की स्वीकृति की स्थिति के व्यापक प्रकाशन के लिए ग्राम पंचायत द्वारा की गई कार्रवाई का जिलों और प्रखण्ड स्तरीय अधिकारियों की टीमों के माध्यम से एक दिवसीय राज्यव्यापी मूल्यांकन अभियान चलाने (30 मई 2018 को) का निर्णय लिया था (मई 2018)। आगे यह भी निदेशित किया गया कि प्राथमिकता सूचियों/पीडब्ल्यूएल के अंतिम रूप देने के दौरान अनियमितताओं का पता चलने पर, एक मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार कर अगले दिन आरडीडी को प्रस्तुत की जानी थी। हालाँकि, अभिलेखों के अभाव में, इस अभियान के परिणाम का लेखापरीक्षा द्वारा पता नहीं लगाया जा सका।

---

[5] प्राथमिकता सूची के अंतिम रूप से अनुमोदन/अंतिमीकरण की निर्धारित तिथि 20 जून 2016 थी।

[6]. लाभार्थियों की भूमि और आवास, जाति और श्रेणी आदि की स्थिति

- इसके अलावा, सामुदायिक भवन/पंचायत भवन/अन्य सार्वजनिक स्थानों पर दीवार चित्रों के माध्यम से प्राथमिकता सूची का प्रचार या तो नहीं किया गया था या आंशिक रूप से किया गया था, जैसा कि विभाग द्वारा जिलों के डीडीसी को किए गए पत्राचार में देखा गया (जनवरी 2019)। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई।
- आवाससॉफ्ट से यह पता चला कि राज्य में कुल 4,274 पात्र ग्राम पंचायत में से केवल 4,198 ग्राम पंचायतों की प्राथमिकता सूची पोर्टल पर अपलोड की गई थी। इसके अलावा, इन 4,198 ग्राम पंचायत में से केवल 4,169 की प्राथमिकता सूची डीएसी की स्वीकृति के साथ अपलोड की गई थी जिसका कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था।

ऊपर उल्लिखित उदाहरण इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि ग्राम पंचायत/डीएसी द्वारा एसईसीसी-प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल को अंतिम रूप देने/अनुमोदित करने के दौरान समुचित सावधानी नहीं बरती गई। परिणामस्वरूप, योजना के कार्यान्वयन के दौरान अपात्र पाए गए 2.90 लाख लाभार्थियों को ग्राम पंचायत द्वारा रिमांड के माध्यम से हटाना पड़ा, जैसा कि अगले पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

2.2.2 अंतिम रूप से तैयार की गई एसईसीसी-प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल से अपात्र लाभार्थियों को हटाना

आरडीडी ने देखा (अगस्त 2019) कि प्रक्रिया का समापन होने तथा तत्पश्चात अंतिम प्राथमिकता सूची एमओआरडी को सौंपे जाने के बावजूद प्राथमिकता सूचियों के सत्यापन की प्रक्रिया अभी भी जारी थी । जिलों से बार-बार रिमांड प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण, आरडीडी ने सभी उपायुक्तों (डीसी)/डीडीसी को यह प्रमाणित करने का निर्देश दिया (अगस्त 2020) कि भविष्य में पीडब्ल्यूएल से अपात्र लाभार्थियों की रिमांड की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा, वार्षिक कार्य योजना (2020-21) की बैठक (अप्रैल 2020) में, आरडीडी ने अधिकार प्राप्त समिति, एमओआरडी को आश्वासन दिया था कि राज्य 30 जून 2020 तक अपात्र मामलों को वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी कर लेगा।

आवाससॉफ्ट के अनुसार, एसईसीसी-प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल के तहत राज्य में 14.88 लाख लाभार्थी थे। हालांकि, पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के दौरान, 2.90 लाख (20 प्रतिशत) लाभार्थियों को अपात्र पाया गया और ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम पंचायत द्वारा लाभार्थियों के पास पहले से ही पक्का आवास होना या अन्य सरकारी आवास योजनाओं से पहले आवंटित आवास होना, सरकारी नौकरी होना, पेंशनभोगी होना, स्थायी प्रवास, डुप्लिकेट प्रविष्टि आदि के आधार पर प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल सूची से उन्हें रिमांड कर/हटा दिया गया था। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि आरडीडी के जिला स्तरीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने और प्रमाणित करने के निर्देश (अगस्त 2020) के बाद भी कि भविष्य में रिमांड की कोई आवश्यकता नहीं

होगी, प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल से अयोग्य लाभार्थियों की पहचान और निष्कासन 2023-24 तक जारी रहा।

नमूना-जांचित जिलों में, प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल में शामिल 4.77 लाख लाभार्थियों में से 0.96 लाख (20 प्रतिशत) को योजना के कार्यान्वयन के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा रिमांड किया गया था, जैसा कि **तालिका-2.1** में वर्णित है।

तालिका 2.1: अंतिम रूप से तैयार प्राथमिकता सूची से रिमांड किए गए लाभार्थी

क्र.सं.	जिला	आवाससॉफ्ट में स्वतः विलोपन के बाद लाभार्थियों की संख्या	प्राथमिकता सूची/ पीडब्ल्यूएल में लाभार्थियों की संख्या	रिमांड किए गए/ हटाए गए लाभार्थियों की संख्या	प्राथमिकता सूची/ पीडब्ल्यूएल में शेष लाभार्थियों की संख्या
1	बोकारो	74,397	74,257	16,967	57,290
2	दुमका	1,02,801	1,02,597	12,019	90,578
3	गिरिडीह	1,11,915	1,11,218	33,877	77,341
4.	पलामू	1,36,831	1,36,655	23,007	1,13,648
5	रामगढ़	23,029	19,472	5,614	13,858
6	सिमडेगा	33,266	33,266	4,871	28,395
	कुल	**4,82,239**	**4,77,465**	**96,355**	**3,81,110**

(स्रोत: जनवरी 2025 में डाउनलोड किया गया आवाससॉफ्ट आंकड़े)

लेखापरीक्षा द्वारा छह नमूना-जांचित जिलों में ग्राम पंचायत की सिफारिश पर तैयार किए गए रिमांड प्रस्तावों से यादृच्छिक रूप से चुने गए 3,937 लाभार्थियों[7] के विवरण की जांच की गई, ताकि उन अपवर्जन मानदंडों का पता लगाया जा सके जिनके तहत इन लाभार्थियों को प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल से हटाया गया था या हटाने का प्रस्ताव किया गया था। यह देखा गया कि 3,937 नमूना-जांचित लाभार्थियों में से 3,411 लाभार्थियों (87 प्रतिशत) को पक्का आवास होने (723), पूर्व में आईएवाई द्वारा आवंटित आवास (474) होने, अन्य आवास योजनाओं से आवंटित आवास (753) होने, सरकारी नौकरी / पेंशनभोगी लाभार्थियों (148); स्थायी प्रवासन (359); अन्य स्थान का निवासी / नाम नही पाए गए / अज्ञात होने (820), एक से अधिक पीएमएवाई-जी आईडी (117) होने, भूमिहीन (16) होने और चार पहिया वाहन (एक) का स्वामी होने के आधार पर हटाया गया था। शेष 526 लाभार्थियों (13 प्रतिशत) को ग्राम पंचायत /प्रखंडों द्वारा लाभार्थी की मृत्यु, नाबालिग होना, कानूनी वारिस उपलब्ध नहीं होना, नामों की गलत प्रविष्टि, आधार / बैंक खाता उपलब्ध नहीं होने, लाभार्थी इच्छुक नहीं होने आदि वजहों से रिमांड के लिए प्रस्तावित किया था।

[7] बोकारो: 400; दुमका: 402; गिरिडीह: 429; रामगढ़: 400; पलामू: 1878 और सिमडेगा: 428

इस प्रकार, प्राथमिकता सूची / पीडब्ल्यूएल के अंतिम रूप दिए जाने के बाद इन 3,411 लाभार्थियों को हटाना यह इंगित करता है कि ग्राम पंचायत / डीएसी द्वारा प्राथमिकता सूची / पीडब्ल्यूएल को अंतिम रूप देते या अनुमोदित करते समय पीएमएवाई-जी की एफएफआई में निर्धारित अपवर्जन मानदंड का समग्र रूप से पालन नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, अपात्र लाभार्थियों को शामिल करने के कारण, वास्तविक लाभार्थियों को प्राथमिकता सूची में स्थान नहीं मिला और सभी पात्र लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने की योजना का उद्देश्य अधूरा रह गया।

2.2.2.1 अपात्र लाभार्थियों को आवासों की स्वीकृति

लेखापरीक्षा में देखा गया कि छह में से पांच नमूना-जांचित जिलों में, 115 अपात्र लाभार्थियों को आवास स्वीकृत किए गए और वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जैसा कि **कंडिका 4.5** में चर्चा की गई है।

लेखापरीक्षा द्वारा अभिलेखों के नमूना परीक्षण और जेपीवी के दौरान पीएमएवाई-जी के एफएफआई के मानदंडों का उल्लंघन करके अपात्र लाभार्थियों को आवासों की स्वीकृति के मामले देखे गए, जिनकी चर्चा निम्नलिखित अनुच्छेदों में की गई है।

(i) अपात्र लाभार्थियों को आवास की स्वीकृति: पीएमएवाई-जी की एफएफआई उन लाभार्थियों को हटाने का प्रावधान करती है जिन्होंने सरकार की अन्य योजनाओं से लाभ प्राप्त किया था या अपने स्वयं की निधि से पक्का आवास बनाया था। इसके अलावा, आरडीडी के निर्देशों (मई 2016) के अनुसार, जिन लाभार्थियों को पहले किसी अन्य योजना से आवास आवंटित किया जा चुका है, उन्हें पीडब्ल्यूएल में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

केस स्टडी 1

पीएमएवाई-जी के एफएफआई और आरडीडी के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए बोकारो जिले के जरीडीह प्रखंड की गायचंदा ग्राम पंचायत के एक लाभार्थी (आईडी: जेएच 102XXXX) को पीएमएवाई-जी आवास स्वीकृत किया गया (स्वीकृति संख्या: जेएच 2/XXXX/X/XXX दिनांक 18 अप्रैल 2018), जबकि वह पात्र नहीं था क्योंकि उसकी पत्नी के पास पहले से ही आईएवाई के तहत स्वीकृत (मार्च 2013) एक आवास (जेएच-20-008-010-001/XXXX) था। जून 2018 से सितंबर 2020 के बीच उसे ₹1.30 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

जवाब में, आरडीडी ने कहा (जून 2025) कि मामले की जाँच के बाद आवश्यक कार्रवाई हेतु जिले को निर्देश जारी किए जाएंगे।

चित्र 2.1 और 2.2: लाभार्थी और उसकी पत्नी के आईएवाई तथा पीएमएवाई-जी के तहत निर्मित आवास।

(ii) लाभार्थी चयन में अनियमितताएं: मार्च 2017 में, आरडीडी को जन प्रतिनिधियों/मनरेगा हेल्पलाइन/ऑनलाइन पोर्टल आदि के माध्यम से लाभार्थियों के चयन में अनियमितताओं की सूचना मिली। सभी डीसी/डीडीसी को निर्देश दिया गया कि यदि उन्हें ऐसी कोई सूचना प्राप्त होती है तो ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

बोकारो जिले के जरीडीह प्रखण्ड के अंतर्गत बांधडीह दक्षिण ग्राम पंचायत में संयुक्त भौतिक सत्यापन (जेपीवी) के दौरान, एक लाभार्थी (आईडी- जेएच132XXXX), जिसे आवाससॉफ्ट के अनुसार पीएमएवाई-जी के तहत 8 फरवरी 2021 को एक आवास के लिए स्वीकृति दी गई थी का पता लगाने में लेखापरीक्षा असमर्थ रही। **केस स्टडी-2** में दिए गए विवरण के अनुसार आवास को स्वीकृति मिलने के नौ दिनों के भीतर पूरा दिखाया गया था।

केस स्टडी 2

आवाससॉफ्ट पोर्टल डेटाबेस के अनुसार, बोकारो जिले के जरीडीह प्रखण्ड के बाँधडीह दक्षिण ग्राम पंचायत के एक लाभार्थी (आईडी - जेएच132XXXX) का आवास निर्माण 17 फरवरी 2021 को, अर्थात संस्वीकृति (8 फरवरी 2021) से नौ दिनों के भीतर पूरा हुआ। लाभार्थी को पहली दो किश्तें (₹1.25 लाख) 11 फरवरी 2021 से 23 फरवरी 2021 के बीच जारी की गईं, जबकि तीसरी किश्त (₹5,000) 13 जनवरी 2022 को जारी की गई। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, उस लाभार्थी का आवास बाँधडीह दक्षिण गाँव में नहीं मिला। इसलिए आवास के वास्तविक स्थान की पहचान के लिए, लेखापरीक्षा ने आवाससॉफ्ट पर अपलोड किए गए आवास के भू-स्थैतिक आंकड़ों (अक्षांश - 23.6561202, देशांतर - 86.0237751) का उपयोग किया और देखा कि भू-स्थान के अनुसार यह आवास उसी स्थान पर अवस्थित था जहाँ बाँधडीह पंचायत कार्यालय कार्यरत है। इस प्रकार, अस्तित्वहीन लाभार्थी को ₹ 1.30 लाख के अनियमित भुगतान की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता।

चित्र 2.3: स्वीकृति के नौ दिनों के भीतर पूरा हुआ आवास
(आवाससॉफ्ट पर अपलोडेड)

जवाब में आरडीडी ने कहा (जून 2025) कि मामले की जाँच के बाद आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित जिले को निर्देश जारी किए जाएंगे।

(iii) पक्का आवास या दोपहिया वाहन रखने वाले लाभार्थियों को आवास की स्वीकृति: लेखापरीक्षा ने जेपीवी के दौरान देखा कि तीन लाभार्थियों, दो बोकारो जिले के जरीडीह प्रखण्ड में पक्का आवास में रहने वाले और एक अन्य रामगढ़ जिले के दुल्मी प्रखण्ड में दोपहिया वाहन रखने वाले, को पीएमएवाई-जी आवासों की स्वीकृति दी गई थी, हालांकि वे पीएमएवाई-जी के एफएफआई के अपवर्जन मानकों के अनुसार पात्र नहीं थे, जैसा कि **केस स्टडी-3 और 4** में वर्णित है।

केस स्टडी 3

लेखापरीक्षा ने देखा कि बोकारो जिले के जरीडीह प्रखण्ड के चिलगड्डा ग्राम पंचायत में दो लाभार्थियों (आईडी - जेएच 275XXXX और जेएच 286XXXX) ने अपनी पीएमएवाई-जी के आवासों का निर्माण क्रमशः 13 फरवरी 2021 और 27 फरवरी 2021 को एक-दूसरे से सटे हुए किया था। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह देखा गया कि दोनों लाभार्थी अपने पुराने आवासों[8] में रह रहे थे, जबकि उन्होंने पीएमएवाई-जी के तहत जो आवास बनाया था, उसे वे एक निजी स्कूल चलाने के लिए उपयोग कर रहे थे।

इस संबंध में आरडीडी ने जवाब दिया (जून 2025) कि मामले की जाँच के बाद आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जिला स्तर पर जारी किए जाएंगे।

चित्र 2.4 और 2.5: पीएमएवाई-जी के अंतर्गत निर्मित आवास जिसका उपयोग स्कूल चलाने के लिए किया जा रहा है तथा लाभार्थियों का पुराना पक्का आवास।

[8] ***पीएमएवाई-जी*** से निर्मित आवासों से 500 मीटर दूर स्थित अपने दो-मंज़िला पक्का आवास

केस स्टडी 4

रामगढ जिले के दुल्मी प्रखण्ड के जमीरा गाँव के एक लाभार्थी (आईडी - जेएच 272XXXX), को पीएमएवाई-जी के तहत आवास स्वीकृत किया गया (सितम्बर 2020) और सितम्बर 2020 से जून 2021 के बीच उसे ₹1.30 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, लाभार्थी ने कहा कि उन्होंने ₹ छः लाख खर्च कर आवास बनवाया था, जिसके लिए उसने ऋण लिया था। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि स्वीकृति के समय लाभार्थी के पास एक दो-पहिया वाहन था।

चित्र 2.6: दो-पहिया वाहन रखने वाले लाभार्थी जिसने आवास निर्माण के लिए ऋण लिया था।

इस संबंध में आरडीडी ने बताया (जून 2025) कि जाँच के बाद आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला को निर्देश जारी किए जाएंगे।

इस प्रकार, प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल में अशुद्धियों और लाभार्थियों के सत्यापन में कमी के कारण, अपात्र लाभार्थियों को आवास की स्वीकृति दी गई साथ ही वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई।

आरडीडी ने प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल की गलत तैयारी के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया और कहा (जून 2025) कि इसके अंतिम रूप दिए जाने के समय, विभाग को कई विसंगतियों के बारे में पता चला था, और सभी जिला/प्रखण्ड स्तर के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए थें। इसके बाद, एमओआरडी की सिफारिशों के आधार पर, उन सभी अपात्र लाभार्थियों को हटाने के लिए कार्रवाई की गई जिन्हें प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल के अंतिम रूप दिए जाने के समय हटाया नहीं जा सका था। 14.88 लाख लाभार्थियों वाले अंतिम पीडब्ल्यूएल में से 2.90 लाख अपात्र लाभार्थियों को रिमांड के माध्यम से हटाया गया।

अनुशंसा 1: राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि भविष्य में योजना के तहत लाभार्थियों का चयन/प्राथमिकता देते समय पीएमएवाई-जी के एफएफआई में निर्धारित सभी प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन किया जाए।

2.3 आवास+लाभार्थी

एमओआरडी ने 'आवास+' मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से एक सर्वेक्षण किया (जनवरी 2018 और मार्च 2019 के बीच) ताकि उन लाभार्थियों की पहचान की जा सके जिन्होंने एसईसीसी-प्राथमिकता सूची / पीडब्ल्यूएल के तहत सूची से छूट जाने का दावा किया था। आवास+मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से संभावित परिवारों (एचएच) के दर्ज किए गए विवरण को ग्राम सभा और डीएसी द्वारा सत्यापित किया जाना था। एमओआरडी ने राज्य (झा.स.) को 31 अक्टूबर 2020 तक पात्र राज्यों को लक्षित आवंटन के लिए अगस्त 2020 तक लाभार्थी आंकड़ों को अंतिम रूप देने और अपलोड करने का भी निर्देश दिया था। हालाँकि, अक्टूबर 2020 तक की समय सीमा में राज्य इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सका और परिणामस्वरूप, सभी पहचाने गए पात्र लाभार्थियों (10.36 लाख) को शामिल करने और उन्हें आवास प्रदान करने के अवसर को खो दिया। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि:

(i) आवास+ के माध्यम से कुल 14.75 लाख लाभार्थियों[9] की पहचान की गई और उन्हें पंजीकृत किया गया। हालांकि, जॉब कार्ड की मैपिंग में कमियों और जियो-टैगिंग के अभाव के कारण केवल 13.21 लाख पात्र लाभार्थी पाए गए। इस प्रकार, 1.54 लाख चिन्हित लाभार्थियों को आगे सत्यापन और विधिमान्यकरण से बाहर रखा गया।

(ii) इसके अलावा, एमओआरडी (2.03 लाख) और राज्य/जिला स्तर (0.82 लाख) पर 2.85 लाख लाभार्थियों की अस्वीकृति/रिमांड के कारण नवंबर 2022 तक 13.21 लाख पंजीकृत लाभार्थियों घटकर 10.36 लाख हो गए। हालाँकि, बाद में आरडीडी (नवंबर 2022) के एमओआरडी से अनुरोध के आधार पर, विभाग को एमओआरडी स्तर पर अस्वीकृत 2.03 लाख लाभार्थियों की स्थिति को सत्यापित करने और एक संशोधित सूची प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी। आरडीडी द्वारा एमओआरडी को छूटे हुए लाभार्थियों की संशोधित जिलावार सूची प्रस्तुत करनी थी और गलत प्रविष्टियों वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी थी। हालाँकि, दिसंबर 2024 तक, न तो संशोधित सूचियाँ एमओआरडी को सौंपी गईं और न ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू की गई।

(iii) मई 2021 में, एमओआरडी ने राज्य में 10.36 लाख पात्र लाभार्थियों के मुकाबले वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए केवल 4.04 लाख आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया था। झारखण्ड सरकार के अनुरोध (नवंबर 2022 और जनवरी 2023) के बावजूद, एमओआरडी ने 6.32 लाख आवासों के शेष लक्ष्य को आवंटित नहीं किया।

जवाब में, आरडीडी द्वारा कहा गया (जून 2025) कि राज्य समय पर आवास+ सूची की अंतिम प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकी। हालाँकि, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, लगभग 6.28 लाख लाभार्थियों में से 4.20 लाख का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। लक्ष्य के मुकाबले, 2.90 लाख लाभार्थियों के लिए आवासों को स्वीकृति दी गई

[9] मोबाइल ऐप के माध्यम से: 13.20 लाख और वेबलिंक के माध्यम से: 1.55 लाख

थी और शेष लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिए आवास+ सूची में संशोधन की प्रक्रिया चल रही थी।

अनुशंसा 2: राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा सकती है कि शेष पात्र आवास+ लाभार्थियों को पक्के आवास प्रदान किए जाएं।

2.4 भौतिक लक्ष्यों का समर्पण और निकासी

पीएमएवाई-जी के एफएफआई में यह निर्धारित किया गया है कि राज्यों की वार्षिक कार्य योजना (एएपी) को स्वीकृति देने के लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली एक अधिकार प्राप्त समिति होगी। एमओआरडी अनुमोदित एएपी और आवाससॉफ्ट पर अपलोड की गई प्राथमिकता सूची/ पीडब्ल्यूएल के आधार पर पीएमएवाई-जी के एफएफआई में निर्धारित मानदंडों के अनुसार राज्यों को भौतिक लक्ष्य आवंटित करता है।

प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल को ग्राम सभाओं और डीएसी द्वारा अंतिम रूप दिया गया (2016-17) और संबंधित प्रखंडों द्वारा आवाससॉफ्ट पर अपलोड किया गया।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि:

(i) एमओआरडी ने वर्ष 2016-21 के दौरान कुल 12.82 लाख का लक्ष्य प्रदान किया था, लेकिन राज्य द्वारा आवासों की कम स्वीकृति के कारण, वर्ष 2016-17 से 2020-21 से संबंधित 83,091 भौतिक लक्ष्यों को राज्य द्वारा अभ्यर्पित कर दिया गया था, जैसा कि **तालिका 2.2** में वर्णित है।

तालिका 2.2: वर्ष 2016-22 के दौरान प्राप्त लक्ष्य

वर्ष	राज्य के लिए प्रारंभिक लक्ष्य	राज्य के लिए संशोधित लक्ष्य	आरडीडी द्वारा अभ्यर्पित लक्ष्य
2016-17	2,30,855	2,30,726	129
2017-18	1,59,052	1,58,944	108
2018-19	1,38,884	1,38,829	55
2019-20	3,22,000	3,21,738	262
2020-21	4,31,066	3,48,529	82,537
कुल	**12,81,857**	**11,98,766**	**83,091**

(स्रोत: आरडीडी के अभिलेख)

(ii) एसईसीसी-प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल और आवास+ के तहत आवासों की कम स्वीकृति के कारण एमओआरडी द्वारा क्रमशः 1,521 और 8,107 आवासों के भौतिक लक्ष्य वापस ले लिए गए (मई 2023)।

इस प्रकार, राज्य सरकार द्वारा आवासों की कम स्वीकृति और एसईसीसी-प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल में अशुद्धियों के कारण भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए लक्ष्यों के उपयोग करने का अवसर खो दिया गया।

जवाब में, आरडीडी ने कहा (जून 2025) कि अंतिम पीडब्ल्यूएल सूची में विसंगति और लक्ष्य से कम संख्या में आवासों की स्वीकृति के कारण, लक्ष्यों के अभ्यर्पण/वापसी की स्थिति उत्पन्न हुई।

2.5 भूमिहीन लाभार्थी

पीएमएवाई-जी के एफएफआई तहत राज्य सरकारों द्वारा भूमिहीन लाभार्थियों को सरकारी भूमि या सार्वजनिक भूमि (पंचायत सामान्य भूमि, सामुदायिक भूमि या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों से संबंधित भूमि) सहित किसी अन्य भूमि से भूमि प्रदान करना होता है। राज्यों को यह भी सुनिश्चित करना था कि भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि का प्रावधान पीडब्लूएल के अंतिम रूप दिए जाने के बाद पूरा हो जाए।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि मार्च 2017 तक राज्य में 758 भूमिहीन लाभार्थी (एसईसीसी 2011 के अनुसार) थे, जिन्हें मार्च 2017 में जारी आरडीडी के आदेशों के अनुसार भूमि प्रदान की जानी थी। हालांकि, लेखापरीक्षा ने नमूना-जांचित जिलों में देखा कि 256 भूमिहीन लाभार्थियों में से, मार्च 2024 तक केवल 95 लाभार्थियों (37 प्रतिशत) को भूमि और आवास प्रदान किए गए थे। इसके अलावा, भूमिहीन लाभार्थियों का विवरण राज्य/जिला/प्रखंड स्तर पर नहीं रखा गया था। लेखापरीक्षा में आवाससॉफ्ट (491), आरडीडी (758) और एमओआरडी आंकड़ों (2,935) के अनुसार राज्य में भूमिहीन लाभार्थियों की संख्या में भिन्नता देखी गई। इस संबंध में, यह भी देखा गया कि:

(i) एमओआरडी ने राज्य को सूचित किया (नवंबर 2022) कि राज्य में 2,935 भूमिहीन लाभार्थी थे, जिनमें से 929 लाभार्थियों को भूमि प्रदान नहीं की गई थी। एमओआरडी ने इस संबंध में उचित कार्रवाई करने के लिए आरडीडी को निर्देशित किया (फरवरी 2023) और भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि प्रदान करने के लिए 31 मार्च 2023 की समय सीमा तय की।

(ii) एमओआरडी में अधिकार प्राप्त समिति की बैठक[10] के दौरान, आरडीडी ने प्रतिवेदित किया (फरवरी-मार्च 2023) कि राज्य में अभी भी 895 भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि प्रदान की जानी है। संबंधित अभिलेखों के अभाव में इन लाभार्थियों को भूमि प्रदान किए जाने की वास्तविक स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

जवाब में, आरडीडी ने कहा (जून 2025) कि सभी जिला और प्रखण्ड स्तरीय अधिकारियों को सत्यापन के बाद भूमिहीन लाभार्थियों की वास्तविक सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

[10] वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पीएमएवाई-जी की वार्षिक कार्य योजना पर विचार करना और उसे मंजूरी देना

2.6 विशेष परियोजनाएं

पीएमएवाई-जी के एफएफआई को विशेष परियोजनाओं[11] के लिए योजना के तहत लक्ष्यों के पांच प्रतिशत तक आरक्षण की आवश्यकता होती है। विशेष परियोजनाओं के लिए राज्यों को पर्याप्त विवरण और कारण के साथ प्रस्ताव एमओआरडी को सौंपने थे। राज्य को प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय यह सुनिश्चित करना था कि विशेष परियोजना के तहत सहायता प्रदान किए जाने वाले लाभार्थियों की पहचान की गई है और उन्हें एसईसीसी 2011 या अंतिम अवास+ सूची की पीडब्ल्यूएल में सूचीबद्ध किया गया है। विशेष परियोजनाओं के लक्ष्यों को सामान्य लक्ष्यों के साथ जोड़ा जाना था तथा राज्य के वार्षिक वित्तीय आवंटन के भीतर धन (प्रशासनिक धन के साथ) जारी करने के लिए विचार किया जाना था।

एसपीएमयू द्वारा प्रस्तुत जानकारी से यह देखा गया कि पीएमएवाई-जी के तहत विशेष परियोजनाओं के लिए कोई भी प्रस्ताव वर्ष 2019-24 के दौरान एमओआरडी को नहीं भेजा गया था, हालांकि जिला[12] स्तर पर नमूना परीक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा ने कई उदाहरण देखे जहां खनन या पट्टे पर दिए गए क्षेत्रों में रहने वाले पात्र व्यक्तियों को प्राथमिकता सूची से हटा दिया गया था।

(i) पलामू जिले में, पंडवा प्रखण्ड के विभिन्न ग्राम पंचायत[13] में पट्टे पर ली गई कोयला खदान क्षेत्र में रहने वाले 307 पीडब्ल्यूएल लाभार्थियों को पीएमएवाई-जी आवास स्वीकृत किए जाने थे। हालाँकि, संबंधित पट्टेदार कंपनियों[14] ने डीडीसी, पलामू से अनुरोध किया कि वे पट्टे वाले क्षेत्र में कोई नया निर्माण कार्य न करें। कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यह भी निर्देश दिया गया (मार्च 2022) कि कोयला खनन क्षेत्र[15] में नये आवासों का निर्माण शुरू नहीं किया जाय। इसलिए आरडीडी ने डीडीसी, पलामू को निर्देश दिया (मार्च 2022) कि जहां लाभार्थी पट्टे क्षेत्र के बाहर आवास बनाने के लिए अनिच्छुक थे, वहां इसके संबंध में लिखित पुष्टि प्राप्त करके, उन मामलों में रिमांड प्रक्रिया शुरू किया जाय। लेखापरीक्षा ने डीआरडीए, पलामू द्वारा प्रदान की गई जानकारी से यह भी देखा (दिसंबर 2024) कि सभी 307 पीडब्ल्यूएल लाभार्थियों को रिमांड कर दिया गया था। हालाँकि, रिमांड के आधार का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि लाभार्थियों से प्राप्त लिखित पुष्टिकरण से संबंधित अभिलेख डीआरडीए, पलामू द्वारा लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किए गए थे। उनके आवास संबंधी जरूरतों का पता

---

11 राष्ट्रीय खतरों और कानून और व्यवस्था की समस्याओं के कारण पूरी तरह से / पर्याप्त रूप से क्षतिग्रस्त आवासों वाले परिवारों का पुनर्वास / पुनर्वास; अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम के तहत अधिसूचित अंतर्राष्ट्रीय सीमा मुद्दों के कारण प्रभावित परिवारों का निपटान, व्यवसाय जनित रोग और 'विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों' से संबंधित एचएच; आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादियों और उनके परिवारों का निपटान; नई प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन; हरित आवास आदि के लिए नवीन और टिकाऊ समाधानों का प्रदर्शन और विस्तार करना; और व्यक्तियों की कोई अन्य उपयुक्त श्रेणी या वर्ग

12 पलामू और रामगढ़ जिले।

13 गड़ीखास, लोहरा कजरी और पंडवा पंचायत।

14 मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड और मेसर्स अरण्या माइंस प्राइवेट लिमिटेड।

15 लोहारी कोल ब्लॉक।

लगाने के लिए किए गए किसी भी सर्वेक्षण का भी लेखापरीक्षा द्वारा पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि जिला स्तर पर संबंधित अभिलेख मौजूद नहीं थे।

(ii) इसी प्रकार, रामगढ़ जिले के मांडू प्रखण्ड के केदला उत्तर ग्राम पंचायत के तहत पट्टा[16] क्षेत्र में रहने वाले 152 पीडब्ल्यूएल लाभार्थियों को भूमि प्रदान करने के बाद आवासों को स्वीकृति देने के बजाय रिमांड किया गया था (मार्च 2019)।

जेपीवी के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि रामगढ़ जिले में दो लाभार्थी वन विभाग और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) की आपत्तियों के कारण अपने आवासों का निर्माण पूरा नहीं कर सके। यह भी देखा गया कि लाभार्थियों के चयन/लाभार्थियों को आवासों की स्वीकृति के समय ग्राम पंचायत/प्रखण्ड/जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा भूमि की स्थिति को अनदेखा किया गया था।

ऐसे दो उदाहरणों के बारे में **केस स्टडी 5 एवं 6** में विस्तार से बताया गया है।

केस स्टडी 5

रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड अंतर्गत आरा उत्तरी ग्राम पंचायत के आरा (सीटी) गाँव की एक लाभार्थी (आईडी: जेएच10643XXXX) को सितंबर 2021 में एक आवास स्वीकृत किया गया तथा सितंबर 2021 से दिसंबर 2022 के बीच वित्तीय सहायता (₹1.30 लाख) प्रदान की गई। जेपीवी के दौरान (सितंबर 2024) लाभार्थी ने बताया कि उसका आवास वन भूमि पर स्थित है तथा इस संबंध में वन विभाग द्वारा उसके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है, हालाँकि संबंधित अन्य विवरण साझा नहीं किए गए। इसके जवाब में, आरडीडी ने कहा (जून 2025) कि मामले की जांच के पश्चात आवश्यक कार्रवाई हेतु जिले को निर्देश जारी किए जाएंगे।

चित्र 2.7: वन भूमि पर लाभार्थी द्वारा निर्मित आवास

[16] पट्टेदार: मेसर्स सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) और मेसर्स टाटा स्टील।

केस स्टडी 6

रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड अंतर्गत आरा उत्तरी ग्राम पंचायत के आरा (सीटी) गांव के एक लाभार्थी (आईडी: जेएच11995XXXX) को पीएमएवाई-जी के तहत अक्टूबर 2021 में आवास स्वीकृत किया गया था तथा लाभार्थी को अक्टूबर 2021 से मार्च 2023 के बीच वित्तीय सहायता (₹1.30 लाख) प्रदान की गई थी। जेपीवी के दौरान (सितंबर 2024) आवास अधूरा पाया गया। लाभार्थी ने बताया कि सीसीएल द्वारा आपत्ति उठाए जाने के कारण आवास का निर्माण पूरा नहीं हो सका। इस संबंध में आरडीडी ने बताया (जून 2025) कि मामले की जाँच के उपरांत आवश्यक कार्रवाई हेतु जिले को निर्देश जारी किए जाएंगे।

चित्र 2.8: लाभार्थी द्वारा सीसीएल की भूमि पर निर्मित आवास

इस प्रकार, वन और पट्टे की जमीन पर जिला प्राधिकरण द्वारा पीएमएवाई-जी आवासों की स्वीकृति के कारण, लाभार्थी योजना के तहत मिलने वाले लाभों से वंचित थे।

जवाब में, आरडीडी ने कहा (जून 2025) कि इस संबंध में उचित कार्रवाई के लिए जिलों से अद्यतन रिपोर्ट मांगी जाएगी।

अनुशंसा 3: राज्य सरकार लाभार्थियों के चयन के समय भू-स्वामित्व के सत्यापन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण और कार्यान्वयन कर सकती है।

2.7 दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण

पीएमएवाई-जी के एफएफआई (2016) में यह निर्धारित किया गया है कि राज्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य स्तर पर तीन प्रतिशत लाभार्थी दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) में से हों। भारत सरकार ने बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण को पीएमएवाई-जी के तहत पांच प्रतिशत तक बढ़ा दिया है (19 अप्रैल 2017 से प्रभावी)।

राज्य, जिले और प्रखण्ड स्तर पर अभिलेखों की जांच से पता चला कि पीडब्ल्यूएल के अनुसार पीडब्ल्यूडी परिवारों का अलग से आंकड़ों को अनुरक्षित नहीं किया गया था। इस प्रकार, वास्तविक लक्ष्यों के संदर्भ में आच्छादित किए गए पीडब्ल्यूडी परिवारों की वास्तविक संख्या का लेखापरीक्षा द्वारा पता नहीं लगाया जा सका। आवाससॉफ्ट डेटाबेस के अनुसार, 10.64 लाख एचएच के लक्ष्य में से, राज्य में केवल 77 पीडब्ल्यूडी लाभार्थियों को कवर किया गया, जबकि वर्ष 2019-22 के दौरान छः नमूना-जांचित

जिलों में 3.47 लाख परिवारों के लक्ष्य के मुकाबले केवल 17 पीडब्ल्यूडी को कवर किया गया था।

जवाब में, आरडीडी ने कहा (जून 2025) कि सभी जिला और प्रखण्ड स्तरीय अधिकारियों को पीडब्ल्यूएल लाभार्थियों का सत्यापन करने और प्राथमिकता के आधार पर उन्हें आवासों की स्वीकृति देने का निर्देश दिया गया है।

2.8 वार्षिक चयनित सूची

पीएमएवाई-जी के एफएफआई के अनुसार, एमओआरडी से वार्षिक लक्ष्य प्राप्त होने पर आरडीडी द्वारा प्रदान किए गए वार्षिक लक्ष्य प्राप्त होने के बाद प्रखंडों द्वारा वार्षिक चयन सूची तैयार की जानी थी। इसके अलावा, वार्षिक चयन सूचियों को व्यापक रूप से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ-साथ गांवों में दीवार चित्रों के माध्यम से प्रसारित किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2019-24 के दौरान किसी भी नमूना-जांचित प्रखंडों ने वर्ष-वार तरीके से वार्षिक चयन सूची तैयार नहीं की थी। इन सूचियों को तैयार नहीं किए जाने के कारण, प्रखण्ड उन श्रेणी-वार लाभार्थियों की वास्तविक संख्या से अनजान रहे जो पिछले वर्ष के लक्ष्यों में शामिल नहीं थे और इस कारण छूट गए थे। इसके अलावा, राज्य स्तर पर और नमूना-जांचित जिलों में, यह देखा गया कि वर्ष 2019-24 के दौरान कई बार प्रखंडों/जिलों को लक्ष्य पुन: आवंटित गए थे, क्योंकि विशेष श्रेणी में छूटे हुए लाभार्थी प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल में उपलब्ध नहीं थे जिसके कारण संबंधित प्रखंडों द्वारा बार-बार लक्ष्य अभ्यर्पित किया गया। परिणामस्वरूप, प्रखण्ड स्तर पर लक्ष्य के अनुरूप लाभार्थियों के पंजीकरण और स्वीकृति में देरी हुई।

इसके अलावा, वार्षिक चयन सूची के अभाव में, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि क्या प्रत्येक आवास की स्वीकृति प्रखंडों/जिलों द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार दी गई थी। इसके अलावा, चूंकि वार्षिक चयन सूची का उद्देश्य लाभार्थियों और हितधारकों के बीच उनकी वार्षिक रैंकिंग के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना था, इसलिए इसकी तैयारी न किए जाने के परिणामस्वरूप पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी हुई।

जवाब में, आरडीडी ने कहा (जून 2025) कि इस संबंध में सभी जिला और प्रखण्ड स्तरीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।

2.9 निष्कर्ष

पीएमएवाई-जी के नियोजन में कमी थी, क्योंकि ग्राम सभाओं और जिला अपीलीय समितियों द्वारा एसईसीसी-प्राथमिकता सूची/स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) को ठीक से सत्यापित/अंतिम रूप नहीं दिया गया था, जिसके कारण 2.90 लाख अपात्र लाभार्थियों को योजना के कार्यान्वयन के दौरान (वर्ष 2017-18 से 2023-24) ग्राम सभा द्वारा बाद में रिमांड किया/हटाया गया। विशेष रूप से, छः नमूना-जांचित जिलों के 60 चयनित

ग्राम पंचायतों (ग्रा.पं.) में कोई भी वर्ष 2016-2024 के दौरान अंतिम पीडब्ल्यूएल तैयार करने से संबंधित कोई अभिलेख प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं थे।

योजना के तहत नवंबर 2022 तक राज्य द्वारा 22.34 लाख पात्र परिवारों की पहचान की गई थी। हालांकि, एसईसीसी प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल में अशुद्धियों, लक्ष्यों का उपयोग करने में राज्य की असमर्थता और आवास+ लाभार्थियों को अंतिम रूप देने में दो साल की देरी के परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा केवल 16.02 लाख आवासों का आवंटन किया जा सका तथा 6.32 लाख पात्र परिवारों (28 प्रतिशत) को योजना के तहत आच्छादित नहीं किया जा सका। इस कटौती किए गए लक्ष्य के मुकाबले, राज्य द्वारा वर्ष 2016-24 के दौरान 15,92,124 आवासों को स्वीकृति दी गई और जनवरी 2025 तक 15,62,249 आवासों (98 प्रतिशत) का निर्माण किया गया। राज्य ने खनन या पट्टे वाले क्षेत्रों में रहने वाले पात्र व्यक्तियों को भूमि प्रदान करने के लिए अतिरिक्त धन जारी करने के लिए विशेष परियोजनाओं के तहत प्रस्ताव तैयार नहीं किए। इसके अलावा, लाभार्थियों के चयन/आवासों की स्वीकृति के समय ग्राम पंचायत/प्रखण्ड/जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा भूमि की स्थिति का सत्यापन नहीं किया गया था। आवास की स्वीकृति के लिए भूमि प्रदान करने के बजाय प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल से भूमिहीन लाभार्थियों को हटाने; दिव्यांगजनों की श्रेणी से संबंधित लाभार्थियों के अलग आंकड़ों का रखरखाव नहीं करने और वर्ष 2019-24 के दौरान वार्षिक चयन सूची तैयार नहीं किये जाने जैसे मामले भी लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए।